नकल आदेश दिनांक 12/9/13

न्यायालय उपजिलाधिकारी हंडिया, इलाहाबाद।

वाद सं0 66 सन 2013

अभय बालिका महाविद्यालय बनाम सरकार

धारा 143 ज0वि0अधि0
मौजा-रानीपुर, परगना-मह,
तहसील-हंडिया, जिला-इलाहाबाद।

निर्णय

प्रस्तुत वाद श्री अभयराज पुत्र स्व0 सीताराम नि0 रानीपुर, परगना-मह, तहसील-हण्डिया द्वारा अन्तर्गत धारा 143 ज0वि0अधि0 के अन्तर्गत संस्थित किया गया और यह अनुरोध किया गया गया कि आ0सं0 725क रकबा 0.950हे0हे0, 774 रकबा 0.0672 व गाटा सं0 775 रकबा 0.2106 व गाटा सं0 777 रकबा 0.0530हे0 व गाटा स0 729 रकबा 0.1302 व गाटा स0 772 रकबा 0.1236 व अ0स0 904 रकबा 0.1657 व आ0सं0 761 रकबा 0.0252 हे0 स्थित मौजा-रानीपुर.परगना-मह का संक्रमणीय भूमिधर हैं तथा वाद ग्रस्त भूमि का वह तनहा संक्रमणीय भूमिधर है तथा इसके मौके पर आबादी है तथा उक्त वर्णित भूमि में अभय बालिका महाविद्यालय रानीपुर का कमरे व बिल्डिंग बने हुए हैं जिसे अकृषिक घोषित करके लगान मुक्त किया जाये। पत्रावली तहसीलदार हंडिया के यहाँ जाँच हेतु भेजी गयी। तहसीलदार की आख्या दिनांक 24.08.2013 को प्राप्त हुई जिसमें उक्त आराजियात पर विद्यालय भवन व कमरे बने हुए हैं। आख्या प्राप्त हुई जिसे अकृषिक घोषित किये जाने की रिपोर्ट तहसीलदार द्वारा दी गई है। मैं तहसीलदार हडिया की आख्या दिनांक 24.08.2013 से सहमत हूँ।

आदेश

आ0सं0 725क रकबा 0.950हे0हे0, 774 रकबा 0.0672 व गाटा सं0 775 रकबा 0.2106 व गाटा सं0 777 रकबा 0.0530हे0 व गाटा स0 729 रकबा 0.1302 व गाटा स0 772 रकबा 0.1236 व अ0स0 904 रकबा 0.1657 व आ0सं0 761 रकबा 0.0252 हे0 स्थित ग्राम-रानीपुर, परगना-मह , तहसील-हंडिया, जिला-इलाहाबाद को अकृषिक घोषित किया जाता है। वाद परवाना अमलदरामद पत्रावली दाखिल दफ्तर हो।

दिनांक

(उमाकान्त त्रिपाठी) 12/9/13
उपजिलाधिकारी हंडिया
इलाहाबाद।

प्रार्थना 376
[illegible]
19/9/13

18-9-13
19-9-13
19-9-13

Secretary
Abhay Gramin Vikas Ashram
[illegible], Handiya, Prayagraj

COURT FEE ONE RUPEE INDIA FOR COURT FEE ONLY